

म.प्र. में नई पर्यटन नीति

मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम और नई फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम के तहत 10 विभागों के 40 लाइसेंस (अनुमति) एक दिन में, 10 लाइसेंस सात दिन में और पांच लाइसेंस 15 दिन में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों को यह सुविधा प्रदान करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति, 2020 को भी मंजूरी प्रदान की।

नई नीति के तहत प्रदेश में फिल्म क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, फिल्म शूटिंग के माध्यम से रोजगार सृजन, फिल्मों, टीवी शो, वेब सिरीज और वृत्तचित्रनिर्माण के लिए वित्तीय अनुदान के जरिए प्रोत्साहन देने की बात शामिल है। नीति में यह भी कहा गया है कि यदि कोई फिल्म मध्य प्रदेश की विशेष ब्रांडिंग करेगी तो उसे कुछ अतिरिक्त रियायतें भी प्रदान की जाएंगी। मार्च में मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों में आईफा अवॉर्ड के आयोजन को भी प्रदेश में सिनेमा जगत की गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार की कोशिशों के रूप में ही देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार आईफा अवॉर्ड के आयोजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री कमल नाथ कह चुके हैं कि इससे प्रदेश में पर्यटन और स्वागत उद्योग को गति मिलेगी और मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान कायम होगी।